राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेलः– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / स्वा0 प्रबं0 / SSB Meeting / 2021 / 433 दिनांक : 13-08-21

## बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.07.2021 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस / बैठक पदेन अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी), विशिष्ठ शासन सचिव (चि.स्वा.एवं प.क.) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा आइटम्स पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 23.12.2020 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया द्वारा प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी) द्वारा जन्म लिंगानुपात की पीसीटीएस सॉफ्टवेयर से तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके सम्बन्ध में माननीय बोर्ड को अवगत करवाया गया कि राज्य में जन्म लिंगानुपात में आशानुरुप सुधार हुआ है। पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर डाटा अपडेट हो जाने पर इसमें और अधिक सुधार की उम्मीद है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर संस्थागत प्रसव के अतिरिक्त हुये प्रसव के आंकडों के डाटा अपडेट किये जाने के निर्देश डेमोग्राफर सेल को दिये।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि राज्य के समस्त सोनोग्राफी संस्थानों पर स्थित अक्रियाशील सोनोग्राफी मशीनों का भौतिक सत्यापन करवाया जाये।
4. समस्त राजकीय संस्थानों पर सरकारी चिकित्सक सोनोग्राफी करने हेतु उपलब्ध हो सके व इससे आमजन को अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश प्रदान किये कि सरकारी चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत सोनोग्राफी करने की योग्यता प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटरों को अधिसूचित किया जावे।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक (जन स्वा.) को निर्देश प्रदान किये कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्थित सोनोग्राफी मशीनों को उच्चतर तकनीक में अपग्रेड किये जाने हेतु, जो मशीन पुरानी हो गई है उनकों कम्पनी में Buy Back करने हेतु यथासम्भव कार्यवाही की जावे। इसके अलावा राज्य में स्थित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने हेतु हरसंभव प्रयास किये जाये।

6. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राज्य में 130 MRI Centre कार्यरत है तथा उक्त मशीनों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय व बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर राज्य में स्थित सभी MRI केन्द्रों का पंजीयन पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

7. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने बोर्ड को अवगत करवाया कि वर्तमान में राज्य में अनुभव के आधार पर सोनोग्राफी कार्य करने वाले चिकित्सकों हेतु भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार सक्षमता आधारित परीक्षा जून, 2022 से पूर्व करवायी जानी है। इस हेतु उक्त परीक्षा के संबंध में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अपने स्तर की आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और परीक्षा आयोजित करवाने व अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अतिशीघ्र की जानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त सक्षमता आधारित परीक्षा को यथासम्भव एक महीने में आयोजित करवाई जावे।

8. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने अवगत कराया कि शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) महोदय द्वारा पीसीपीएनडीटी रिव्यू बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में सोनोग्राफी मशीन के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आदि से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्मों के पंजीयन प्रक्रिया को ऑनलाईन किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है एवं अतिशीघ्र ही इसकी पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी जायेगी, जिसका माननीय बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

- बैठक का समापन अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।
- आगामी बैठक अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

12-08-2021

अतिरिक्त निदेशक (प0क0) एवं
सदस्य सचिव,
राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :-**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**

2. श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर जिला अलवर, एफ–9, विधायकपुरी जयपुर। (pwccra@gmail.com)
3. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, किशनगंज जिला बारां, एन–39, गांधी नगर, जि जयपुर। (nirmlasahariya88@gmail.com)
4. श्रीमती मंजू देवी, माननीय विधायक, जायल जिला नागौर, इण्डियन पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड, जायल जिला नागौर। (omprakash941336@gmail.com)
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- ph-sjc@rajasthan.gov.in)
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)
9. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)
11. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) निवासी– 194, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड़, जयपुर। (Email :- kavitamalikjaipur@gmail.com)
15. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर।(Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)
16. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
17. निजी सहायक, निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
18. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर। (Email:- amitakashyap1@gmail.com)
19. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
20. डॉ0 एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई–3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर(Email :- drsls14@hotmail.com)
21. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
22. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर।
23. मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर निवारू रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)
24. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर (Email :- apmat87@gmail.com
25. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर (Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)
26. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
27. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com)
28. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर (Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)
29. डॉ. मनोज कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।

30. परियोजना निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
31. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
32. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
33. श्री गौरिश वशिष्ठ, वैज्ञानिक–सी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
34. प्रभारी, पीबीआई / प्रभारी, अपराध शाखा / राज्य समन्वयक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / विधि विशेषज्ञ, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / एसएम एण्ड ईओ, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / सलाहकार आईईसी / सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
35. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
36. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।